।।। कार्यालय/ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट गढवाल ।।।

संख्या :– 20/सरफेसी एक्ट–2022 दिनांक पौड़ी 30 अगस्त 2022

वादी– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रान्च कार्यालय वीरपुर खुर्द ऋषिकेश, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।

बनाम्

प्रतिवादी/ ऋणधारक 1– मैसर्स शुभ इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रोपराईटर, हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेडिया कालोनी वीरभद्र रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) 2– श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री के0एल0 अग्रवाल (प्रोपराईटर मैसर्स शुभ इन्डस्ट्रीज) हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेडिया कालोनी वीरभद्र रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून

अन्तर्गत सरफेसी एक्ट

आदेश

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रान्च कार्यालय, वीरपुर खुर्द ऋषिकेश, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा ऋण की वसूली हेतु बन्धक की गई सम्पत्ति के अधिग्रहण में सरफेसी एक्ट के प्राविधान के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा बैंको को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि 1– मैसर्स शुभ इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रोपराईटर, हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेडिया कालोनी ऋणधारक वीरभद्र रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) 2– श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री के0एल0 अग्रवाल (प्रोपराईटर मैसर्स शुभ इन्डस्ट्रीज) हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेडिया कालोनी वीरभद्र रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा उनकी शाखा से रू0 267.63 करोड़ (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख तिरेसठ हजार) की धनराशि ऋण के रूप में ली थी, जिस पर उनके द्वारा 1–**Hypothecation of plant and machinery 2-Equitable mortgaged of industrial property Factory Land and Building at Plot N0 A-7A, measuring area 920 sq.mtr. situated at vill, Srirampur, Growth centre Sigaddi, Kotdwar, District Pauri Garhwal belongs to M/S Shubh Industries** , जिसकी चौहद्दी पूर्व में Plot N0 A-7B, पश्चिम में Plot N0 A-6C, उत्तर में 24 मी0 चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण में नाला है, बन्धक रखी गई है। ऋणी का खाता दिनांक 30–04–2021 को अपालनीय आस्ति घोषित करने के उपरान्त उक्त ऋणी/बाकीदार को नोटिस प्रेषित करने व नोटिस तामीली होने के बावजूद भी उनके द्वारा बैंक ऋण की धनराशि नही लौटाई जा रही है। दिनांक 16–09–2021 तक उक्त ऋण की धनराशि रूपये 1,78,65,804.61 (रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार आठ सौ चार रू इकसठ पैसे) ब्याज व अन्य खर्चे बकाया हो गया है। ऋणी द्वारा वांछित धनराशि बावजूद सूचना के जमा नही की गयी, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार दिनांक 28–11–2020 एवं 29–11–2020 को के समाचार पत्र के जरिये भी नोटिस प्रकाशित करवाया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बैंक ऋण नही लौटाया जा रहा है। फलस्वरूप सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14 के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ी। बैंक द्वारा ऋणी को नोटिस जारी किया गया। उसके उपरान्त भी ऋणी द्वारा धनराशि वापस नहीं की गयी।

2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एंव निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ के शासनादेश/पत्रांक 300 (बी)/क0नि0–6–2010 दिनांक 17 फरवरी 2010 के प्रस्तर संख्या–2 के अनुसार अधिनियम की धारा–14 के अर्न्तगत यह प्राविधानित है कि किसी बकायेदार द्वारा ऋणों का प्रतिदान न किये जाने के फलस्वरूप यदि SECURED ASSET का कब्जा लिये जाने का अवसर आता है तो सम्बन्धित बैंक क्षेत्राधिकार सम्पन्न चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देगा जो सम्बन्धित ASSET का कब्जा लेकर उसे उक्त बैंक को हस्तगत करा देंगे। उक्त धारा में यह अपेक्षित है कि बैंको द्वारा समुचित कार्यवाही के उपरान्त दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्दिष्ट Asset का कब्जा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त कर बैंक को हस्तगत करा दिया जाय।

3– **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा–14 के अनुसार–मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता करना–**

(1)– जहॉ किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है या यदि किसी प्रतिभूत आस्ति का, प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विकय या अंतरित किया जाना अपेक्षित है

Scanned with CamScanner

वहाँ प्रतिभूत लेनदार, ऐसे किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के प्रयोजनार्थ, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबधित अन्य दस्तावेज स्थित है या पाये जाते है, लिखित में उनका कब्जा लेने के लिये आवेदन कर सकेगा और यथास्थिति, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, एसे ऐसा निवेदन किये जाने पर–

(क)– ऐसी आस्ति और उससे संबधित दस्तावेजों का कब्जा ले लेगा ; और
(ख)– ऐसी अस्ति और दस्तावेजों को प्रतिभूत लेनदार को अग्रेषित करेगा।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा और ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा या करवायेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो।

(3)– इस धारा के अनुसरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया कोई कार्य किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

4– उक्त प्रकरण में बैंक द्वारा ऋणी को दिये गये ऋण को लौटाने हेतु नियमानुसार उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिया गया है। नोटिस को समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है, किन्तु 1– मैसर्स शुभ इन्ड्स्ट्रीज द्वारा प्रोपराईटर, हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेड़िया कालोनी ऋणधारक वीरभद्र रोड़, ऋषिकेश जिला देहरादून (उत्तराखण्ड़) 2– श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री के0एल0 अग्रवाल (प्रोपराईटर मैसर्स शुभ इन्ड्स्ट्रीज) हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेड़िया कालोनी वीरभद्र रोड़, ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा बैंक से लिया गया ऋण बैंक को नही लौटाया गया है। अतः "SARFAESI Act-2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest) की धारा–14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार **मै डॉ0 विजय कुमार जोगदण्ड़े, जिला मजिस्ट्रेट, गढवाल,** एतद्द्वारा **उपजिलाधिकारी कोटद्वार तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार** को प्राधिकृत एंव निर्देशित करता हूँ कि वे 1– मैसर्स शुभ इन्ड्स्ट्रीज द्वारा प्रोपराईटर, हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेड़िया कालोनी ऋणधारक वीरभद्र रोड़, ऋषिकेश जिला देहरादून (उत्तराखण्ड़) 2– श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री के0एल0 अग्रवाल (प्रोपराईटर मैसर्स शुभ इन्ड्स्ट्रीज) हाउस नं0–43, गली नं0–9, स्टेड़िया कालोनी वीरभद्र रोड़, ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा उक्त ऋण के ऐवज में बन्धक 1–**Hypothecation of plant and machinery 2-Equitable mortgaged of industrial property Factory Land and Building at Plot N0 A-7A, measuring area 920 sq.mtr. situated at vill, Srirampur, Growth centre Sigaddi, Kotdwar, District Pauri Garhwal belongs to M/S Shubh Industries** , जिसकी चौहद्दी पूर्व में Plot N0 A-7B पश्चिम में Plot N0 A-6C, उत्तर में 24 मी0 चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण में नाला है, का कब्जा प्राप्त कर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रान्च कार्यालय वीरपुर खुर्द ऋषिकेश, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड को सौंपते हुये अनुपालन आख्या इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिला मजिस्ट्रेट गढवाल।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषितः–
1– उपजिलाधिकारी, कोटद्वार।
2– प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार।
3– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रान्च कार्यालय वीरपुर खुर्द ऋषिकेश, जनपद देहरादून।

30/8

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिला मजिस्ट्रेट गढवाल।

Scanned with CamScanner